संख्या- 9/2015/336 /अडतीस-7-2015-18नरेगा/2015

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 25 फरवरी, 2015**

विषय- मनरेगा कार्मिकों के लम्बित मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत सेवा प्रदाता/संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का मानदेय लम्बित होने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त् हो रहे प्रकरणों के दृष्टिगत राज्य स्तर पर इस संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि कतिपय जनपदों द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत हुए व्यय के सापेक्ष अनूमन्य प्रशासनिक निधि का शत- प्रतिशत व्यय नहीं किया जा रहा है, जिससे धनराशि की उपलब्धता होने के बावजूद भी मनरेगा कार्मिकों का मानदेय लम्बित है।

2- उपरोक्त के क्रम में जनपदों में मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय की गयी कुल धनराशि एवं प्रशासनिक निधि के अन्तर्गत किये गये व्यय पर आधारित रिपोर्ट(संलग्न) के अनुसार प्रशासनिक निधि की उपलब्धता एवं व्यय में अधिकांश जनपदों में अंतर पाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि इस विषय पर जनपद में समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। अत: आपसे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद में प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अनुमन्य /उपलब्ध धनराशि से मनरेगा कार्मिकों के लम्बित मानदेय का नियमानुसार भुगतान कराकर अद्यतन स्थिति से अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास तथा शासन को अवगत करायें। इसके अतिरिक्त संलग्न सूची के क्रमांक 72-75 के 04 जनपदों जिनके द्वारा मानक से अधिक धनराशि व्यय किया जाना प्रदर्शित हो रहा है, से अपेक्षित है कि वे दिनांक: 31-03-2015 तक योजनान्तर्गत व्यय को तीव्रता प्रदान कर व्यय एवं प्रशासनिक मद के अनुपात को मानक के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि मनरेगा योजनान्तर्गत दिनांक: 26-05-2010 को निर्गत शासनादेश संख्या -1964/38-7-2010-369एनआरईजीए/2008 में प्रशासनिक निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में सर्वोच्च प्राथमिकता मनरेगा कार्मिकों के मानदेय भुगतान दिये जाने के निर्देश हैं। अत: अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश के प्राविधानों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। योजनान्तर्गत सृजित प्रशासनिक निधि का सर्वप्रथम व्यय मनरेगा कार्मिकों के मानदेय पर किया जायेगा। इस विषय पर किसी प्रकार का विचलन पाये जाने तथा दिनांक: 31-03-2015 को जनपदों में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य प्रशासनिक निधि के अप्रयुक्त रहने व मनरेगा कार्मिकों के नियमानुसार देय मानदेय के लम्बित रहने का प्रकरण पाये जाने पर संबंधित जनपद के उपायुक्त, श्रम रोजगार/परियोजना निदेशक तथा संबंधित कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षणीय दायित्व में लापरवाही के लिए उच्चतर अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। अत: उपरोक्त के संबंध में नियमानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-9/2015/336(1)/अड़तीस-7-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।**
2. **अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।**
3. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।**
5. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।